झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

साईनाथ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

<u>साईनाथ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018</u>

[सभा द्वारा यथापारित]

साईनाथ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक , 2012 में संशोधन हेतु विधेयक भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो,

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार अवाम प्रारंभ –

(i) यह अधिनियम साईनाथ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह तुरंत प्रभावी होगा ।

अध्याय-2

साईनाथ विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 का संशोधन-

2. साईनाथ विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा -6 की उपधारा- (2) का संशोधन-

धारा-6 की उपधारा-(2) के वर्तमान प्रावधान- "प्रशासन मंडल की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय अथवा अन्य किसी संस्था को संबद्ध कर सकता है" को विलोपित किया जाता है ।

यह विधेयक साईनाथ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 20 जुलाई, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 20 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 41--50--3-8-2018